

9 अक्टू 1997



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 196467

स्टाम्प 800=00



Trust Deed

2

मैं ऋचा शुक्ला पत्नी श्री मनीष शुक्ल निवासी ग्राम भाव, पो0-सिया, तह0-कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ उ0प्र0 (आधार संख्या 634452541038) का हूँ, जिन्हे आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/- रुपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11000/- रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। व्यवस्थापकों ने उक्त को ट्रस्ट का प्रथम होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि।

1. यह कि ट्रस्ट का नाम- आर0एम0 एस0 फाउण्डेशन (R.M.S. FOUNDATION) होगा।
2. यह कि उक्त का पंजीकृत कार्यालय- ग्राम-~~कुण्डा~~ ~~पो0-सिया~~, तह0-~~सुन्दर~~, जनपद-प्रतापगढ़, उ0प्र0 होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थान्तरित कर सकते हैं।

Mansur Singh



3201 25/11/2020 106 2

आवेदन सं: 20200084/008023

दिनांक: 25/11/2020
पञ्जाब प्रजासम समिति
राज्य: हरियाणा
तहसील: कुरुक्षेत्र

वर्ष: 2020

वही सं: 4

रजिस्ट्रेशन सं: 199

सज्जासम शर्मा

प्रतिफल: 11000 स्टाम्प शुल्क - 800 बाजारी मूल्य - 0 फंजीकरण शुल्क - 80 योग: 580

लाभ सं 9

कुण्डा-प्रतापगढ़


श्री ऋचा शुक्ला द्वारा
मनीष शुक्ला प्राकृतिक संरक्षक,
पुत्र श्री राम सूरत शुक्ल
व्यवसाय: अन्य
निवासी: ग्राम भाव पो० सिपा त० कुंडा प्रतापगढ़



श्री ऋचा शुक्ला

मनीष शुक्ला प्राकृतिक संरक्षक

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/11/2020 एवं 04:17:37 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी जय कुमार सिंह
उप निबंधक सदर
प्रतापगढ़
17/11/2020

जय कुमार सिंह
निबंधक लिपिक

मैं यहाँ के निवासी हूँ और मैंने 17-11-2020 को आपके कार्यालय में एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें मैंने बताया कि मैंने अपने पुत्र श्री राम सूरत शुक्ल को अपने नाम पर एक प्राकृतिक संरक्षण अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। मैंने अपने आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवश्यक शुल्क भी जमा कराया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा आवेदन त्वरित रूप से निबंधन किया जा सके।

